

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या :


1233/05

जिला : जयपुर

उपस्थान :

पुद्दलादराय 8/0 माली राज 45 हरकाट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.07.2015	<p><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। विभाग की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>वकील प्रार्थी श्री यज्ञदत्त शर्मा को तीन बार आवाजें लगवायी गयी, परन्तु फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकरण में आदेशिका दिनांक 19.07.2012 में वकील प्रार्थी को निर्देश दिये गये थे कि वे विपक्षी संख्या 2 व 3 के नोटिस स्थानीय अखबार व अन्य राष्ट्रस्तरीय अखबारों में प्रकाशन करावें।</p> <p>सुनवाई दिनांक 10.03.2015 को विद्वान अभिभाषक श्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि विपक्षी संख्या 2 व 3 आवश्यक पक्षकार नहीं होने तथा इनसे किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जानी है। अतः विपक्षी संख्या 2 व 3 का नाम तर्क करने का निवेदन किया।</p> <p>विभागीय पैरोकार ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम तर्क करने का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि पूर्व में समन्वय पीठ द्वारा इन दोनों अप्रार्थीगणों की बहस नोटिस प्रकाशन की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। अतः इन दोनों नामों को तर्क करना उचित नहीं होगा।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 2 व 3 आवश्यक पक्षकार है तथा निगरानीकर्ता को ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः आदेशिका अनुसार पूर्व में ही अखबार में साया के आदेश हो चुके है।</p> <p>निगरानीकर्ता के निवेदन को अस्वीकार करते हुये अखबार में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम साया करने के आदेश दिये गये थे।</p> <p>आज दिनांक 23.07.2015 को निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही प्रकाशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता के विरुद्ध अदम तक व अदम हाजरी में निगरानी खारिज की जाती है।</p>	



सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर